राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.)
National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)
(An ISO 9001: 2015 Certified Organisation)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India

एनएचक्यू-13015/1/2025-नाइलिट(ई-3154210)/715

दिनांक: 13 अक्तूबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वर्ष 2024 हेतु ऑनलाइन मोड में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) भरे जाने संबंधी संशोधित समय-सीमा विषयक।

वर्ष 2024 के लिए, नाइलिट के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तालिका में उल्लिखित संशोधित समय-सीमा के अनुसार अपने एपीएआर फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरना आवश्यक है। सभी अधिकारी/ कर्मचारी अपने विशिष्ट आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए एपीएआर पोर्टल पर लॉग-इन करके इस लिंक https://apar.nielit.in/index पर ऑनलाइन एपीएआर फॉर्म भर सकेंगे। वर्ष 2024 के लिए, नाइलिट के समस्त कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन एपीएआर फॉर्म भरने हेतु निम्नवत रूप से समय-सीमा का पालन किया जाना है:

ई-एपीएआर पूर्ण रूप से भरने हेतु कैलेंडर (संशोधित समय-सीमा)

क्रमांक	गतिविधि	वह तिथि जिसके अंतर्गत गतिविधि पूर्ण की जानी है।
1	कैलेंडर वर्ष एपीएआर	2024
2	कार्मिक द्वारा एपीएआर फॉर्म का मूल्यांकन एपीएआर पोर्टल पर किया जा सकता है।	20 मार्च, 2025
3	स्थानीय व्यवस्थापक द्वारा संपादन/ सुधार अनुरोध एवं अनुमोदन।	21 अक्तूबर, 2025
4	जिस अधिकारी के विषय में रिपोर्ट दी जानी है, उसके द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना।	28 अक्तूबर, 2025
5	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	04 नवंबर, 2025
6	समीक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट पूर्ण की जाएगी तथा प्रशासन को भेजी जाएगी।	12 नवंबर, 2025
7	जहां कोई स्वीकार करने वाला प्राधिकारी नहीं है, वहां रिपोर्ट किए गए अधिकारी का प्रकटीकरण।	20 नवंबर, 2025
8	संबंधित कर्मचारी से एपीएआर पर अभ्यावेदन की प्राप्ति, यदि कोई हो।	05 दिसंबर, 2025
9	सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन अग्रेषित करना।	08 दिसंबर, 2025
10	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान।	15 दिसंबर, 2025
11	एपीएआर सेल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की सूचना।	22 दिसंबर, 2025
12	संपूर्ण एपीएआर प्रक्रिया की समाप्ति, जिसके पश्चात एपीएआर को अंततः रिकॉर्ड में ले लिया जाएगा।	

13/10/2025

2. इस कारण से, समस्त कार्मिकों को हिदायत दी जाती है कि, वे नोडल अधिकारी/ रिपोर्ट देने वाले अधिकारी/ रिपोर्टिंग अधिकारी/ समीक्षा अधिकारी आदि के रूप में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका/ क्षमता के अनुसार ऑनलाइन एपीएआर फॉर्म भरने हेतु उपरोक्त समय-सीमा का ध्यानपूर्वक पालन करें।

3. समस्त कार्यकारी निदेशक/ निदेशक/ प्रभारी निदेशक से अनुरोध है कि, वे अपने नियंत्रणाधीन नाइलिट केंद्र में उपर्युक्त निर्देशों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करें ताकि, उनका समुचित अनुपालन हो सके। कृपया ध्यान दें कि, एपीएआर फॉर्म भरे जाने में किसी भी प्रकार से विलंब, जैसे; स्व-मूल्यांकन टिप्पणी करना/ एपीएआर को अगले स्तर पर अग्रेषित करना, जो, आगे निर्धारित समय-सारिणी के भीतर एपीएआर को पूर्ण करने की प्रक्रिया में भी विलंब करेगा, अतएव, इसका यथासमय पालन किया जाना चाहिए।

4. उपर्युक्त कार्यान्वयन के दौरान किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में, नोडल व्यवस्थापक श्री विकास मित्तल, वैज्ञानिक 'डी', नाइलिट मुख्यालय (vikas@nielit.gov.in) से संपर्क करेंगे, तथा किसी भी प्रशासनिक प्रश्न हेतु नोडल व्यवस्थापक श्री अभिनव रस्तोगी, प्रशासनिक अधिकारी, नाइलिट मुख्यालय (abhinav.r@nielit.gov.in) से संपर्क करेंगे।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजय
13/10/2025

(डॉ. एस.के. धुरंधर)
कुलसचिव

सेवा में,

1. समस्त नाइलिट केन्द्रों/ विस्तार केन्द्रों के प्रमुख:- आवश्यक कार्रवाई एवं कार्मिकों के बीच प्रसार हेतु।
2. मुख्यालय के समस्त पदाधिकारी
3. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर शाखा- तदनुसार, वेबसाइट में अपडेट करने के अनुरोध सहित।
4. गार्ड फ़ाइल

कृपया, सूचनार्थ प्रतिलिपि:

महानिदेशक, नाइलिट मुख्यालय के स्टाफ अधिकारी